न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–11/2022

सुनील चौधरी @ सुनील कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद सुनील चौधरी उर्फ सुनील कुमार चौधरी, पिता–रमेश चौधरी, ग्राम–वसन्तपुर, थाना–सासाराम, जिला–रोहतास द्वारा दिनांक–04.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–31.01.2020 को बाल्मिकी सिंह, वनपाल, तिलौथू–सह–दरिगाँव वन परिसर एवं सशस्त्र बल के साथ विभागीय वाहन से अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सासाराम वन प्रक्षेत्र अंतर्गत पुरानी जी०टी० रोड, पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचने पर अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम के दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम–मोकर के पास उनके द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में 02 हाईवा डम्फर जांच हेतु रोकर रखा गया है।

प्राप्त सूचना के आलोक में घटना स्थल पहुंचने एवं वाहन के जांचोपरांत पाया गया कि वाहन (1) हाईवा डम्फर (12 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन संख्या–BR-24GA-6936, चेचिस नं०–MAT466126H3C-06825 (2) हाईवा डम्फर (10 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन सं०–(अंकित नहीं), सिरियल नं०–10–KHJ-03-2663, PARI No.-10400000S, चेचिस नं०–03–SZ-172872 पर सासाराम वन प्रक्षेत्र अंतर्गत फाजिलपुर अधिसूचित (अधिसूचना संख्या–595–A/F-AQ.5/69, दिनांक–21.02.1969) सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल साईज गिट्टी (800 एवं 600 घनफुट) लोड है। वाहन की तलाशी के क्रम में प्रासंगिक वाहनों पर लदे पत्थर मेटल साईज गिट्टी के वैद्य परिवहन से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया।

तदोपरांत वाहन (1) हाईवा डम्फर (12 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन संख्या–BR-24GA-6936, चेचिस नं०–MAT466126H3C-06825 (2) हाईवा डम्फर (10 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन सं०–(अंकित नहीं), सिरियल नं०–10-KHJ-03-2663, PARI No-10400000S, चेचिस नं०–03–SZ-172872 को फाजिलपुर अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनिज एवं रूपांतरित पत्थर मेटल साईज गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त होने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम, 1927 की धारा 33, 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52 के तहत जप्त कर घटना स्थल पर जप्ती सूची तैयार किया गया।

जप्त न्यायालय प्रदर्श को सासाराम वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। जप्ती सूची की एक प्रति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम (रोहतास) को देते हुए उसकी द्वितीय प्रति इस न्यायालय में समर्पित की गई है।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सासाराम वन प्रक्षेत्र के अनुरोध पर धारा–52(3) के तहत उपरोक्त प्रासंगिक जप्त वाहन (हाईवा डम्फर) एवं उसके उपर लदा पत्थर मेटल साईज गिट्टी पर अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

अधिहरण न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई करते हुए दिनांक–04.03.2020 को प्रासंगिक वन वाद में जप्त वाहन (1) हाईवा डम्फर (12 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन संख्या–BR-24GA-6936, चेचिस नं०–MAT466126H3C-06825 (2) हाईवा डम्फर (10 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन सं०–(अंकित नहीं), सिरियल नं०–10–KHJ-03-2663,PARI No.-10400000S, चेचिस नं०–03–SZ-172872 सासाराम वन प्रक्षेत्र अंतर्गत फाजिलपुर अधिसूचित (अधिसूचना संख्या–595–A/F-AQ.5/69, दिनांक–21.02.1969) सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल साईज गिट्टी (800 एवं 600 घनफुट) को अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में संलिप्त रहने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम, 1927 की धारा–52(3) में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिहरित करने का आदेश पारित किया गया है।

रिविजनकर्ता द्वारा अधिहरण न्यायालय में दिनांक–04.03.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के अपीलीय न्यायालय में वन अधिहरण वाद संख्या–04/2020 सुनील कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–04.01.2022 को समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास द्वारा अंतिम आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

रिविजनकर्ता द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–04.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन न्यायालय को दिनांक–26.10.2022 को रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजनवाद संख्या–11/2022 सुनील चौधरी उर्फ सुनील कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा वन अधिहरण वाद संख्या–04/2020 में दिनांक–04.01.2022 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा अधिहरण वाद सख्या–07/20(A) में दिनांक–04.03.2020 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रतिउत्तर उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते है:–

1. रिविजनकर्ता का वाहन (1) हाईवा डम्फर (12 चक्का), डाला–आसमानी, केबिन–उजला, निबंधन संख्या–BR-24GA-6936, चेचिस नं०–MAT466 126H3C 06825 को सासाराम वन प्रक्षेत्र अंतर्गत फाजिलपुर अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल साईज गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त रहने के कारण अधिहरित किया गया है।
2. जप्ती के समय वाहन पर लदे पत्थर मेटल साईज गिट्टी के वैध परिवहन से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया।
3. वाहन की जप्ती दिनांक–31.01.2020 को 10:30 बजे रात्रि में की गई है, जबकि निम्न न्यायालय में दायर कारण पृच्छा के साथ दाखिल खनिज परिवहन चालान की छायाप्रति में समय 08:50:51 बजे (दिनांक–01.02.2020) पूर्वाहन में निर्गत होने का उल्लेख है।

इससे स्पष्ट है कि वाहन के जप्ती के बाद येन–केन–प्रकारेण गलत खनिज परिवहन चालान बनवाकर कारण पृच्छा के साथ दाखिल किया गया है।

4. अधिहरण न्यायालय में वाहन स्वामी से गवाही के क्रम में बताया कि मंतव्य स्थल तक पहुँचने में एक भी टॉल गेट नहीं पड़ता है परन्तु चालान निर्गत स्थल से मंतव्य स्थल तक पहुँचने में 02 टॉल गेट पड़ता है। जिसका टॉल टैक्स वाहन स्वामी द्वारा अधिहरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में रिविजनकर्ता के रिविजन को अस्वीकृत किया जाता है। संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह०/–
27.03.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह०/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–11/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–..........

प्रतिलिपि– सुनील चौधरी उर्फ सुनील कुमार चौधरी, पिता–रमेश चौधरी, ग्राम–वसन्तपुर, थाना–सासाराम, जिला–रोहतास, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–11/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–............

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–11/2022 1567 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 01/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी